GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2014/TG-I/20/P **New Delhi, dated 15.10.2014**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 44 OF 2014)

Sub: Facility of free journey to SC/ST candidates appearing in exams conducted by Railway Recruitment Commission (RRC) on the downloadable admit cards.

****

As per earlier practice, the SC/ST candidates appearing for written examination conducted by RRCs were allowed to travel from their residence to the examination center and back on the authority of admit cards issued by the recruiting agency subject to the condition that admit cards should be signed in ink by the Assistant Secretary of the recruiting agency. It has now been decided to permit issuance of 100% downloadable admit cards for such candidates appearing for written examination for post in PB-I (GP 1800) in the month of November, 2014. It has, however, been reported that such candidates are being denied reservation of seats/berths by some PRS centers assigning reason that the authority is a computerised generated document and they do not have any instructions to accept such documents.

2. The matter has been examined and it has been decided that SC/ST candidates appearing in the exams conducted by RRCs may be allowed to book ticket on submission of self-attested photocopy of admission certificate and SC/ST certificate. During the journey, these candidates should carry original SC/ST certificate and one original prescribed proof of identity for undertaking journey in reserved class failing which they will be treated as travelling without ticket and charged accordingly.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, Railway Board, EDE(N)/E(NG)-II Branch.
3) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
4) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
5) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
6) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
7) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
8) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
9) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
10) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
11) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
****

सं. 2014/टीजी-I/20/पी | नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2014 का वाणिज्य परिपत्र सं. 44)

विषय: रेलवे भर्ती आयोग (आरआरसी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्रों पर नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करना।

*****

पूर्ववर्ती कार्यपद्धति के अनुसार, रेलवे भर्ती आयोग (आरआरसी) द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को भर्ती एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र पर, उनके आवास से परीक्षा केन्द्र तक जाने और वहां से वापस आने के लिए, इस शर्त के साथ अनुमति दी गई थी कि प्रवेश पत्र पर, भर्ती एजेंसी के सहायक सचिव द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किया होना चाहिए। अब, नवम्बर, 2014 में पीबी-I (ग्रेड पे 1800/-) में पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों (100%) को डाउनलोड होने वाले प्रवेश पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। बहरहाल, यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ पीआरएस केन्द्रों द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को यह कारण बताते हुए सीटों/बर्थों का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्राधिकार पत्र कम्पयूटरीकृत है, और उन्हें ऐसे दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे भर्ती आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को प्रवेश-पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, इन उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का मूल प्रमाण-पत्र और निर्धारित पहचान पत्र की एक मूल प्रति अपने पास रखनी होगी और ऐसा न होने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने हुए माना जाएगा और तदनुसार प्रभार लिया जाएगा।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(डॉo एस.के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

FREE JOURNEY

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, रेलवे बोर्ड, का नि स्था(एन)/ई(एनजी)-।। शाखा।
3) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
4) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
5) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011
6) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
7) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
8) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
9) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71